Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 48 /2023

Mahendra Rishi. .....Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors. .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.12.2024	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम अंतर्गत वाद सं0–07 / 2020–21 मे दिनांक–05.12.2022 को पारित आदे" । के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षो को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पूर्णिया जिला के अंचल के0 नगर अवस्थित मौजा–खुट्टी धुनैली, थाना नं0–151 / 1, खाता–1126, खेसरा–419, रकवा–1.00 एकड़, खाता–573, खेसरा–5090, रकवा–28 डी0 कुल रकवा–01 एकड़ 28 डी0 भूमि अपीलार्थी के स्वर्गीय पिता महेन्द्र ऋषि को अधिसूचना संख्या–2966 एवं 2766 दिनांक–06.06.1990 द्वारा लाल कार्ड से प्रदान की गई। लाल कार्ड के प्राप्ति के उपरांत अपीलार्थी एवं उनके पिता के द्वारा वादग्रस्त भूमि का नामांतरण अपने पक्ष में कराकर प्रश्नगत जमीन पर दखलकार रहे हैं। महेन्द्र ऋषि के मृत्यु के उपरांत उनके एक मात्र पुत्र अपीलार्थी प्रश्नगत जमीन पर दखलकार हुए तथा प्रश्नगत जमीन का लगान रसीद प्राप्त करने लगे। उत्तरवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर गलत दावा प्रस्तुत करते हुए उक्त भूमि का बलपूर्वक अतिक्रमण कर लिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। प्रश्नगत खाता–1126, खेसरा–419 का कुल रकवा–10 एकड़ है। उत्तरवादीगण को भी उक्त खाता खेसरा से ही भूमि बन्दोबस्त की गई है, जिस कारण उभय पक्षों का एक ही दर्ज हो गया है। निम्न न्यायालय द्वारा केवल चौहद्दी समान होने के कारण त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए अपील वाद को स्वीकृत करने की प्रार्थना अपीलार्थी द्वारा की गई है। दूसरी ओर उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील वाद अपोषणीय है। उत्तरवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर पिछले 42 वर्षों से दखल है, जिससे उत्तरवादीगण का एडवर्स पोजिशन का हक स्थापित होता है। उत्तरवादीगण के पिता योगेन्द्र महतो को मौजा–खुट्टो धुनैली, खाता–1126, खेसरा–419, रकवा–1 एकड़ बन्दोबस्ती वाद संख्या–99 / 1982–83 से प्राप्त है। उत्तरवादीगण का वर्ष 2024–25	

Web copy not official

	<u>लगातार</u> 30.12.2024	क्रमशः तक लगान रसीद प्राप्त है। अपीलार्थी द्वारा गलत दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तरवादीगण उन्हें बेदखल करने का प्रयास कर रहे है। प्रश्नगत मामले पंचायती में भी पंचों द्वारा अपीलार्थी के दावा को अस्वीकार करते हुए उत्तरवादीगण को पूर्व में हुए बन्दोबस्ती के आधार पर उत्तरवादीगण के दावे को सही माना गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपील वाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थना उत्तरवादीगण द्वारा की गई है। उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोंपरांत स्पश्ट है कि उभय पक्षों द्वारा प्रश्नगत जमीन को बन्दोबस्ती से प्राप्त होने की बात की जा रही है। उत्तरवादीगण द्वारा मात्र खाता–1126, खेसरा–419, रकवा–01 एकड़ बन्दोबस्ती वाद संख्या–99/1982–83 से प्राप्त होने का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि अपीलार्थी द्वारा खाता–573, खेसरा–5090, रकवा–28 डी0 पर भी बेदखली हेतु अपील वाद समर्पित किया गया है। उक्त वर्णित स्थिति में अंचल अधिकारी, के0 नगर का निदेश दिया जाता है कि उभय पक्षों के लाल कार्ड की जाँच कर आश्वस्त हो लेंगे कि उक्त लाल कार्ड वैध है अथवा नहीं। तदोपरांत लाल कार्ड में सन्निहित भूमि का सीमांकन कराकर उभय पक्षों को वास्तविक दखल प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के आलोक में वाद की कार्रवाइ समाप्त की जाती है। आदे" ा की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web copy. Not official.

Web copy. Not official.